इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 6 जनवरी, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति की समीक्षा ----------1
मुख्य घटनाएं----------2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ----------5
सूक्ष्म वित्त ----------5
ग्रामीण बैंकिंग ----------6
अंतरराष्ट्रीय समाचार ----------6
नयी नियुक्तियां----------6
विदेशी मुद्रा ----------6
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मध्य तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा - 18 दिसम्बर, 2012

मौद्रिक एवं चलनिधि सम्बन्धी उपाय

- अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4.25% पर अपरिवर्तित।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (Repo) दर 8% पर अपरिवर्तित।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रति-पुनर्खरीद (Reverse Repo) दर 7% पर अपरिवर्तित।
- सीमांत अस्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर दर 9.0% पर कायम है।

वृद्धि

2012-13 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में हुई 5.3% की वृद्धि पहली तिमाही में दर्ज 5.5% से थोड़ी कम रही। घरेलू मोर्चे पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 2012-13 के लिए अनुमानित 5.8% की आधाररेखा की ओर बढ़ रही है। न्यून आधार और त्योहारों से जुड़ी मांग के कारण अक्तूबर में औद्योगिक गतिविधि में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं, दोनों ही की वृद्धि दोहरे अंकों तक पहुंच गई। उल्लेखनीय रूप से पूंजीगत मालों के उत्पादन में 13 माह की लगातार गिरावट के बाद 7.5% की वृद्धि दर्ज हुई।

मुद्रास्फीति

- बनस्पतियों, खनिजों और ईंधन की कीमतों में आई कमी के कारण सुर्खियों मे आई थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति घट कर नवम्बर में 7.2% पर आ गई। नयी संयोजित (ग्रामीण और शहरी) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2010 = 100) मुद्रास्फीति नवम्बर में बढ़ गई, जिससे विशेषत: बनस्पतियों, अनाजों, दालों, तेल एवं वसा से सम्बन्धित खाद्य मुद्रास्फीति पर स्थिर दबावों का द्योतन होता है।

मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियां

- कमतर जमा वृद्धि के कारण मुद्रा आपूर्ति (एम), की वृद्धि संकेतात्मक प्रक्षेप-पथ से कम रही; खाद्येतर ऋण वृद्धि 16% के संकेतात्मक प्रक्षेप-पथ से अधिक रही, जिससे आर्थिक गतिविधि में कुछ बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सरकार की भारी शेष राशियों तथा जमा और ऋण वृद्धि के बीच व्यापक अंतर होने के कारण तीसरी तिमाही में चलनिधि की स्थितियां कठिन बनी रहीं। चलनिधि की कमी को यथोचित स्तर पर रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 232 बिलियन रुपये का प्राथमिक चलनिधि निषेचन करते हुए 4 और 11 दिसम्बर को खुले बाज़ार के परिचालन (OMOs) का संचालन किया। तदनुसार मुद्रा बाज़ार की दरें पुनर्खरीद (Repo) दर के आस-पास बनी रहीं।

मुख्य घटनाएं

संसद में प्रस्तुत अर्ध-वार्षिक आर्थिक विश्लेषण 2012-13 की मुख्य विशेषताएं

- 2012-13 में अर्थव्यवस्था में 5.7- 5.9% वृद्धि होने की आशा है।
- वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पहली छमाही के 5.4% के समक्ष 6% के निकट रहेगी।
- मंदी की प्रवृत्ति अधस्तर पर पहुंची लगती है।
- वैश्विक आर्थिक वातावरण नाजुक बना हुआ है।
- मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों से निवेशक का आत्मविश्वास बढना चाहिए।
- हाल की राजकोषीय समेकन की नीति से अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में निवेशक के बोध में सुधार हुआ है।
- इस वित्तीय वर्ष का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% रहने की संभावना है।
- 4थी तिमाही में मुद्रास्फीति में कमी आने की आशा है; मार्च के अंत में मुद्रास्फीति 6.8-7% पर थी।

- मुद्रास्फीति में कमी से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति दृष्टिकोण में नरमी लाए जाने में सुविधा होगी।
- रबी फसल की अच्छी संभावना के आधार पर कृषि क्षेत्र में स्थिति बेहतर रहेगी।
- सेवा क्षेत्र में बेहतर वृद्धि होने की आशा है।
- चालू खाते का घाटा (CAD) और व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा कमतर होगा।
- कठोर मौद्रिक नीति तथा उच्चतर उधार लागत ने निवेश प्रवाह को कुंद रखा।
- वैश्विक एवं घरेलू कारकों के साथ जुड़े अधोमुखी जोखिम प्रत्यक्ष कर वसूली को प्रभावित कर सकते हैं।

बैंकिंग कानूनों में संशोधन और भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिक अधिकार (शक्ति)

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक मे भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों का विनियमन करने के लिए अधिक अधिकार (शक्ति) प्रदान करते हुए, बैंकों में निवेशकों के मताधिकार में वृद्धि करते हुए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बोनस एवं अधिकार (Rights) निर्गमों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति देते हुए तीन कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 को संशोधित करता है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों के निदेशक मंडल (बोर्ड) को अधिक्रमित करने तथा उनकी (बैंकों की) सहयोगी कम्पनियों की बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार / शक्ति होगा/होगी।

नकदी अंतरण के लिए 34 योजनाएं विनिर्दिष्ट

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार ने 34 अभिज्ञात केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियों के आधार-समर्थित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को चरणबद्ध रीति से अपनाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरूआत 1 जनवरी से 43 जिलों में एक साथ होगी। सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के सम्बन्ध में कार्यान्वयन समितियों का गठन किया है, जो राज्य सरकारों और विविध हितधारकों से विहित परामर्श के साथ अंतरणों को परिचालित करेगी।

लोकसभा ने कम्पनी विधेयक को मंजूरी दी

लोकसभा ने उस बहु-प्रतीक्षित कम्पनी विधेयक, 2011 को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से जुड़े

कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। कारपोरेट अभिशासन मे सुधार लाने के ध्येय वाले उक्त विधेयक में कम्पनियों एवं लेखा-परीक्षाकर्ता फर्मों के विनियमन को सुदृढ़ बनाने वाले प्रावधानों का भी समावेश है। ऋण प्राप्त करने हेतु बैंकों को गलत ढंग से प्रेरित करने के अपराध से सम्बन्धित एक खण्ड का भी समावेश किया गया है। परिवर्तित कानून गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को कारपोरेट धोखाधड़ियों से निपटने के लिए अधिक कानूनी अधिकार /शक्ति प्रदान करता है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नये आरूप वाले चेकों की अंतिम तिथि विस्तारित

भारतीय रिज़र्व बैंक की एक अधिसूचना जिसमे यह कहा गया है कि "बैंकों के लिए गैर-चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)- 2010 मानक चेकों की वापसी और उनके स्थान पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली (नॉन-सीटीएस) -2010 मानक चेकों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु समय सीमा को मार्च 2013 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है," के बाद बैंक खाता धारक अपने पुराने आरूप वाले चेकों का उपयोग तीन माह की एक अन्य अवधि तक करना जारी रख सकते हैं।

फिम्मडा की आचार संहिता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है है कि सरकारी प्रतिभूति (G-secs) बाज़ार में ईमानदारी और व्यवस्थित स्थितियां बनाए रखने के हित में सभी सहायक सामान्य खाता-बहियों / ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही खाता धारकों को तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान (NDS) और काउंटर पर लेनदेन (OTC) बाज़ार में निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (Derivatives) संघ (FIMMDA) की आचार संहिता का पालन करना चाहिए।

ऋण वसूली कानून में संशोधन

ऋण वसूली विधान में संशोधन बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को उनके अशोध्य ऋणों को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (ARCs) को बेचने की अनुमति प्रदान करेगा, जिससे बैंकों और उनके साथ ही कम्पनियों को भी फायदा पहुंचेगा। परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां बैंकों और वित्तीय कम्पनियों से अशोध्य ऋण बट्टाकृत दर पर खरीदती हैं तथा उधारकर्ता से प्राप्य राशियों को वसूल करती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकार निर्गम आसन्न

बैंकिंग क्षेत्र मे बासेल-III मानदंडों के कार्यान्वयन से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार द्वारा अभिदत्त किये जाने वाले शेयरों के अधिमानी आबंटन के बजाय पूंजीकरण की अधिमान्य विधि माने जाने वाले अधिकार निर्गमों के साथ पूंजी जुटाने की ताक में हैं। इससे सभी शेयर धारकों को निवेश का समान अवसर प्राप्त होगा।

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के बिना ऑनलाइन डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उससे अनुमोदन प्राप्त किए बिना (सह-ब्रॉण्डयुक्त डेबिट कार्डों और रुपये में मूल्यवर्गित सह-ब्रॉण्डयुक्त पूर्व-प्रदत्त कार्डों सहित) ऑनलाइन डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस मुहिम का उद्देश्य बैंकों के लिए प्रत्येक सह-ब्रॉडिंग व्यवस्था के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की जरूरत को समाप्त करना है। अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों, धन-शोधन निवारण (AML) मानकों, आतंकवाद के वित्तीयन पर नियंत्रण (CFT) तथा धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की बाध्यताओं का सख्ती पालन आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानिए मानदंड शिथिल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए अनिवार्य अपने ग्राहक को जानिए मानदंड शिथिल कर दिए हैं, ताकि बैंक खाता खोलना सरल और अड़चन रहित हो सके। नया खाता खोलते समय किसी मौजूदा ग्राहक द्वारा परिचय पर बल दिए जाने को अब अनिवार्य नहीं माना जाएगा। परिचय वाले प्रमाण पर ऐसा पता होने पर जो वही पता हो जिस पर खाता खोला जा रहा हो, अलग से पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। खाता खोलने के फार्म और आधार कार्ड पर वही पता होने पर आधार कार्डों को परिचय और पते का प्रमाण, दोनों ही के रूप में स्वीकार किया जाना होगा। इसके अलावा, ग्रामीण रोज़गार योजना के अधीन दिए गए रोज़गार कार्डों को बैंक खाते खोलने के लिए वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए कठोर पूंजी, प्रवधान मानदंड प्रस्तावित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए वर्तमान मानदंडों के पुनरीक्षण पर थोराट समिति की रिपोर्ट पर आधारित दिशानिदेशों के प्रारूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के लिए अपेक्षाकृत कठोर पूंजी आवश्यकताएं और प्रावधानीकरण दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि निष्क्रिय गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की टियर-I पूंजी मौजूदा 7.5% से बढ़ा कर 12% की जाए, किन्तु मूलभूत सुविधा क्षेत्र का वित्तीयन करने वाली कम्पनियों की पूंजी 10% पर अपरिवर्तित रखी जाए। ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, जो अपेक्षित पूंजी स्तर से कम वाली हों, को इसका अनुपालन करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया

जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्हें बैंकों के समकक्ष लाते हुए यह भी प्रस्तावित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋणों को उनकी गैर-अदायगी के 90 दिनों के भीतर आवश्यक रूप से अनर्जक आस्ति के रूप में वगीकृत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण मार्च 2014 और उसके बाद से बकाया रकम के 0.25% से बढ़ा कर 0.40% किया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण व्यवस्था

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को संबोधित वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार बैंकों के लिए 1,000 से लेकर 1,500 तक परिवारों वाले प्रत्येक गांव या गांवों के समूह के लिए कम से कम एक बैंक शाखा या कारबार संपर्की एजेन्ट (BCA) रखना आवश्यक होगा। चूंकि विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत की जनसंख्या भिन्न-भिन्न होती है, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कारबार संपर्की एजेन्ट के उप सेवा क्षेत्र में लगभग 1,000-1,500 परिवार उपलब्ध हों। उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी राज्यों और अन्य राज्यों की बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में बैंक प्रत्येक कारबार संपर्की एजेन्ट द्वारा शामिल किए जाने वाले परिवारों के बारे में उपयुक्त रूप से निर्णय ले सकते हैं। अपेक्षाकृत बड़ी ग्राम पंचायतों के मामले में एक से अधिक कारबार संपर्की एजेन्ट की नियुक्ति की जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल-III का कार्यान्वयन 1 अप्रैल तक स्थगित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल-III वित्तीय मानदंडों के कार्यान्वयन की शुरुआत को पूर्ववर्ती 1 जनवरी से बदल कर 1 अप्रैल के बाद कर दिया है। उक्त घोषणा सार्वनिक क्षेत्र के कुछेक बैंकों के अपने सतत बॉण्ड निर्गमों को वापस लिये जाने के बाद की गई, क्योंकि ये बासेल-III प्रणाली में टियर-I पूंजी के पात्र नहीं होंगे। इसप्रकार, इसके लिए बैंकों को और समय की आवश्यकता थी। भारतीय रिज़र्व बैंक विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण अन्य देशों, जो बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) के सदस्य हैं, में बासेल-III के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर गहनतापूर्वक निगरानी रखने वाला है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था की शर्तें कठोर

अब कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था (CDR) पैकेज के माध्यम से अपेक्षाकृत सरल चुकौती शर्तों की चाह रखने वाले कम्पनियों के प्रवर्तकों को पुनर्व्यवस्थित खाते के उचित मूल्य में ह्रास का (मौजूदा15% की तुलना में) 25% अदा करना होगा। इसके अलावा, उन्हें अपने 100% शेयरों को गिरवी रखना

होगा तथा शर्तरहित वैयक्तिक गारंटी देनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के दल का मत यह है कि ऋणों का अधिमानी शेयरों में कोई रूपांतरण केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाएगा। कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था के मुख्य दल ने यह निर्णय लिया है कि अग्रणी बैंकर को इस बात के लिए प्राधिकृत किया जाए कि यदि आवश्यक हो, तो वह दबावग्रस्त कम्पनियों के निदेशक मंडलों में नये निदेशक नियुक्त करे। दबावग्रस्त कम्पनियों को एक ऐसा न्यास एवं प्रतिधारण खाता आवश्यक रूप से खोलना चाहिए जिसके माध्यम से समस्त प्राप्य राशियों और भुगतानों को प्रेषित किया जाएगा। पुनर्व्यवस्था का कार्य किए जाने के बाद कम्पनियों द्वारा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में बैंकों को भी कठोरता बरतनी चाहिए। अब से कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था पैकेज में प्रदान की जाने वाली रियायती ब्याज दर आधार दर से कमतर नहीं होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के पुनरीक्षण के लिए पैनल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखे के आरूप और प्रस्तुतन के पुनरीक्षण के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है। श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता वाली उक्त समिति अन्य बातों के साथ ही इस बात की जांच करेगी कि लेखों में प्रकटन पर्याप्त हैं या फिर उन्हें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से 1.7 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2013 में सर्वाधिक उधार लिये

बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अधीन उधार 1,70,140 करोड़ रुपये के रूप में वित्तीय वर्ष के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। सामान्य तौर पर प्रणाली में इस प्रकार की अधिक उधारी मार्च में उस समय परिलक्षित होती है, जब चलनिधि की स्थिति अनिवार्य रूप से कठिन होती है। उधार का यह उच्च स्तर अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण था तथा प्रणाली से 50,000-60,000 करोड़ रुपये निकल गए। कठिन चलनिधि स्थिति के परिणामस्वरूप मुद्रा बाज़ार दरों में भी बढ़ोतरी हुई। कई एक बैंक कठिन चलनिधि स्थिति के कारण चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत उधार लेते हैं तथा मांग मुद्रा बाज़ार में उधार देते हैं, जिसके कारण मांग दरें 8% की पुनर्खरीद (Repo) दर से अधिक स्तर पर मंडरा रही हैं।

बैंकों को चूककर्ताओं की आस्तियों को आरक्षित कीमत पर खरीदने का मौका मिल सकता है

वर्तमान में संसद में लम्बित आस्ति मोचननिषेध कानून में संशोधन बैंकों को कोई खरीदार न होने पर आस्तियों को आरक्षित कीमत पर खरीदने में समर्थ बनाते हुए उन्हें चूककर्ता उधारकर्ताओं से जब्त आस्तियों की बिक्री या निपटान को आस्थगित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेयसी) अधिनियम में संशोधन संसद के इस सत्र में पारित किए जाने हेतु सूची में शामिल हैं तथा उन्हें जांच (छानबीन) के लिए संसदीय स्थायी समिति को नहीं भेजा गया है। उक्त संशोधन विधेयक में

उस तरीके में परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें बैंक चूककर्ता उधारकताओं से अधिगृहीत अचल सम्पत्ति का निर्वचन करते हैं। विशिष्ट रूप से, इस प्रकार की सम्पत्ति एक निष्पक्ष मूल्यांकन के बाद निर्धारित आस्ति की न्यूनतम आरक्षित कीमत तय करते हुए नीलामी में बेची जाती है। इसके बाद उक्त बिक्री से प्राप्य राशियों का उधारकर्ता के बकाया ऋण के समक्ष समायोजन किया जाता है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 12,000 करोड़ रुपये के पूंजी निषेचन को मंजूरी दी

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए उनमें 12,000 करोड़ रुपये के निधि निषेचन की पहली श्रंखला को अनुमोदित कर दिया है। उसने वर्तमान वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 15,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। वर्ष 2010-11 में सरकार ने टियर-I पूंजी 8% पर बनाए रखने तथा कुछेक बैंकों में सरकारी इक्विटी बढ़ा कर 58% करने के लिए 20,157 करोड़ रुपये लगाए थे।

किफायती आवासीय विदेशी वाणिज्यिक उधार (ECB) को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने किफायती आवासीय परियोजनाओं के लिए विदेशों से निधि जुटाने की अनुमति प्रदान कर दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकासकर्ताओं और आवासीय वित्त कम्पनियों को अल्प-लागत वाली वहनीय आवासीय योजनाओं के अधीन 1 बिलियन अमरीकी डालर उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक इस सीमा की वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगा। निवासीय परियोजनाओं में 5 वर्ष के अनुभव तथा बैंकों / अन्य एजेन्सियों के प्रति अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चूक न करने वाले विकासकर्ता विदेशों में निधियां जुटाने के पात्र होंगे।

मोबाइल बैंकिंग में बढ़ोतरी

मोबाइल बटुआ और अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (IMPS) जैसी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग मोबाइल फोनों के माध्यम से तुरंत अंतर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के लिए किया जा रहा है। इन सेवाओं का उपयोग मुख्यत: शेष राशि की जांचों, खातों के लेनदेनों, भुगतानों, ऋण आवेदनों आदि के लिए किया जाता है। अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा बैंक खाते और आधार संख्या का उपयोग करते हुए व्यापारिक भुगतानों को स्वीकार करने के लिए भी प्रदान की जा रही है। विशेषत: कम मूल्य वाले लेनदेनों के लिए मोबाइल बैंकिंग की बढ़ती लोकप्रियता ने भारतीय रिज़र्व बैंक को आद्योपांत गूढ़लेखन सीमा को 1,000 रुपये से बढ़ा कर 5,000 रुपये करने और निधि अंतरण और मालों एवं सेवाओं की खरीद हेतु प्रति ग्राहक प्रति दिन 50,000 रुपये की लेनदेन सीमा को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया है।

धन शोधन कानून को संशोधित करने हेतु संसद की मंजूरी

धन-शोधन निवारण (संशोधन) (PMLA) विधेयक में अपराध से प्राप्त राशियों के प्रच्छादन (छिपाने), अभिग्रहण, धारण और उपयोग जैसी गतिविधियों को आपराधिक गतिविधियों के रूप में शामिल करने के लिए काले धन को वैध बनाने वाले अपराध की परिभाषा को विस्तीर्ण करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावित संशोधन में भारतीय कानून के प्रावधानों को विदेशों के कानूनों से सम्बद्ध करने के लिए तदनुरूपी कानून की अवधारणा लागू करने का प्रयास किया गया है। इसमे जब तक कि यह सिद्ध हो गया हो कि काले धन को वैध बनाने का अपराध हुआ है तथा विचाराधीन सम्पत्ति काले धन को वैध बनाने से जुड़ी हुई है, दोषसिद्धि न होने के बावजूद अपराध से प्राप्त की गई राशियों की कुर्की और जब्ती हेतु प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसमें अपीली न्यायाधिकरण के आदेशों (फैसलों) के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का भी प्रावधान है।

विनियामकों के कथन

मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए स्पंदनशील कारपोरेट बॉण्ड बाजार जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण के अनुसार मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तीयन की आवश्यकता एक स्पंदनशील कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार विकसित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। " वर्तमान बहस (एक सुदृढ़ कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार विकसित किए जाने पर) उल्लेखनीय रूप से मूलभूत सुविधा क्षेत्र के वित्तीयन द्वारा प्रेरित है। 12वीं योजना में 2012 से 2017 तक की अवधि में मूलभूत सुविधा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डालर के निवेश का अनुमान लगाया गया है। इस आकार वाले संसाधन केवल एक कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार विकसित किए जाने के फलस्वरूप ही जुटाए जा सकेंगे। मूलभूत सुविधा क्षेत्र के वित्तीयन में विदेशी और उसके साथ ही घरेलू पूंजी के लिए सुविधा चैनलों की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में एक स्पंदनशील कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार का विकास आवश्यक है।"

बढ़ती मज़दूरियां मुद्रास्फीति की कठिनाई की भरपाई कर देती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का कहना है कि उच्च मुद्रास्फीति ठीक उसी प्रकार की परेशानी नहीं पैदा कर रही होगी, जो वह अतीत में पैदा करती थी, क्योंकि ग्रामीण मज़दूरियां पिछले 5 वर्षों से वार्षिक आधार पर अपेक्षाकृत तीव्र वेग से बढ़ती रही हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना जैसी मुख्य योजना ने ग्रामीण आय की रुकावट को समाप्त कर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वृद्धि को बढ़ाने के लिए दर कटौती के संकेत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि को पुनरुज्जीवित करने हेतु मौद्रिक नीति की 3री तिमाही की समीक्षा में अपनी नीतिगत दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का कहना है कि "यदि गरीबी में कमी, रोज़गार सृजन तथा जनांकिकीय लाभांश चुकाने की गति में तेजी लाई जानी है, तो वृद्धि में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।" हाल की तिमाहियों में वैश्विक प्रतिवातों और घरेलू नीतिगत अनिश्चितताओं द्वारा आहत हो कर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में (जुलाई-सितम्बर वाली तिमाही के दौरान 5.3% की दर पर) सुधार आया है। भारत में घरेलू बचतों (विशेषत: पारिवारिक वित्तीय बचतों) में गिरावट, विनियामक एवं परिवेशात्मक मुद्दों जैसी ढांचागत अड़चनों के परिणामस्वरूप निवेश की कमतर मांग उपभोग व्यय में विमंदन ने कमतर वृद्धि और स्थूल-आर्थिक स्थिरता के प्रति बढ़े जोखिमों में अंशदान किया।

मौजूदा कानून आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) पर ब्याज की अनुमति नहीं देते

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. कें.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि कानून बदले जाने पर शीर्ष बैंक बैंकों को उनकी आरक्षित नकदी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान कर सकता है। "वर्तमान कानून के तहत आरक्षित नकदी निधि अनुपात पर किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता। हालांकि, सरकार द्वारा इस नियम (आरक्षित नकदी निधि अनुपात पर ब्याज के भुगतान के लिए) में परिवर्तन किया जाना जरूरी है। यदि आरक्षित नकदी निधि अनुपात बैंकों पर एक लागत है, तो वे उसे कहीं अन्यत्र समायोजित कर सकते हैं।"

कमजोर रुपया मुद्रास्फीति बढ़ा रहा है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कमजोर रुपये के मुद्रास्फीति बढ़ाने पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण के अनुसार रुपये में मूल्यह्रास - चाहे वह राजनीतिक घटनाओं के कारण हो या वैश्विक - विशेष रूप से तेल जैसे अपरिहार्य आयातों पर होने वाले प्रभाव के कारण मुद्रस्फीति में अंशदान करता है। रुपया प्रति डालर 6 दिसम्बर को 54.14 की तुलना में 7 दिसम्बर को 54.47 पर बंद हुआ। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अक्तूबर में सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति की दर बढ़ कर 7.45% हो गई।

विदेशी संस्थागत निवेशक मुद्रा -वायदों (फ्यूचर्स) का लेनदेन कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी निवेशकों के लिए उन्हे मुद्रा-वायदों का लेनदेन करने की अनुमति देने सहित उनके लिए मानदंडों को सरल बना सकता है। वह गतिहीन बॉण्ड बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक पत्रों (CPs) और जमा प्रमाणपत्रों (CDs) में पुनर्खरीद सुविधा की अनुमति भी

दे सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने कहा है कि "हम यह सोच रहे हैं कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को मुद्रा-वायदों के क्रय-विक्रय की अनुमति दी जा सकती है।" उन्होंने घरेलू बॉण्डों को धारण करने में विदेशी निधियों के लिए प्रतिबंधात्मक मानदंडों का उल्लेख करते हुए कहा कि "हम अब अवशिष्ट परिपक्वता और अवरुद्धता अवधि के सम्बन्ध में लचीले हो गए हैं।"

बीमा

ऋण चूक अदला-बदली में निवेशकों के लिए मानदंड संशोधित

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने कारपोरेट बॉण्डों के सम्बन्ध में ऋण चूक अदला-बदली (CDS) में निवेश करने वाले बीमाकर्ताओं के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप को उन्हें गैर-सूचीबद्ध, किन्तु केवल मूलभूत सुविधा कम्पनियों के बॉण्ड खरीदने की अनुमति देते हुए संशोधित कर दिया है। बीमाकर्ता ऋण चूक अदला-बदली का उपयोग ऋण जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए एक "बचाव व्यवस्था" (Hedge) के रूप में कर सकते हैं। हालांकि, वे प्रवर्तक समूह से सम्बन्धित ऋण चूक अदला-बदली नहीं खरीद सकते और न ही प्रवर्तकों के समूह से सम्बन्धित संस्थाओं / कम्पनियों के बीच कोई ऋण चूक अदला-बदली लेनदेन किया जा सकता है।

सूक्ष्म बीमा के सम्बन्ध में इर्डा के दिशानिर्देश आसन्न

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से सम्बन्धित विनियमों के जारी किए जाने की आशा है। सूक्ष्म वित्त उत्पाद मूलत: अल्प आय श्रेणी से सम्बन्धित ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को लक्ष्यांकित होते हैं। प्रस्तावित विनियम सूक्ष्म बीमा क्षेत्र से सम्बन्धित उत्पाद और वितरण दोनों ही मोर्चों पर मुद्दों का निराकरण करेंगे। इसके पूर्व बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने कहा था कि वह वितरण लागत में कमी लाने लिए सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और व्यक्तियों (दुकानदारों, मेडिकल स्टोरों के स्वामियों, पेट्रोल पंपों के स्वामियों, सार्वजनिक टेलीफोन प्रचालकों) को सूक्ष्म बीमा एजेन्टों के रूप में कार्य करने की अनुमति देगा।

बीमा पैठ को बढ़ावा मिलेगा

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमें की पैठ को बढ़ावा मिलना तय है, क्योंकि आगामी वर्ष से बीमाकर्ताओं को अपनी शाखाओं का 25% ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना होगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के 'व्यवसाय स्थल विनियमन 2012' प्रारूप के अनुसार 10 वर्ष का व्यवसाय पूरा कर

चुके सभी बीमाकर्ताओं के लिए उनकी नयी शाखाओं का कम से कम 25% 1 लाख से कम की आबादी वाले स्थानों पर खोलना जरूरी होगा। उक्त जनांकिकीय सीमा टियर-II और उसके नीचे वाले कस्बों / गांवों में व्यवसाय बिक्री केन्द्रों को प्रोत्साहित करेगी। नये स्थलों का निर्धारण करते समय कार्यालयों की अल्पावधिक उपस्थिति से बचने के लिए बीमा व्यवसाय के दीर्घकालिक स्वरूप पर विचार किया जाना होगा।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को बैंक उधार में धीरे-धीरे वृद्धि

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को बैंक वित्त में यद्यपि कुछ सावधानी के साथ पुन: तेजी आ रही है। सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क (MFIN) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आलोक प्रसाद का कहना है कि "2012-13 में उद्योग के प्रति जोखिम बोध में कमी आई है, जिससे बैंक और निवेशक पुन: वापस आने लगे हैं। हालांकि, यह निधीयन चुनिंदा आधार पर हो रहा है।" सूक्ष्म वित्त सस्था को संवितरण के लगभग 90% निधीयन बैंक ऋणों द्वारा हुआ है। अतएव बैंक ऋणों में किसी संकुचन के परिणामस्वरूप सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के व्यवसाय में गिरावट आ जाती है।

ग्रामीण बैंकिंग

किसान क्रेडिट कार्ड तक आसान पहुंच

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अन्य उपायों में मंत्रालय ने बैंकों को 3 लाख रुपये की कार्ड सीमा के लिए किसी प्रकार का कार्रवाई शुल्क न लेने तथा फसल ऋणों पर अलग से मार्जिन की मांग न करने की सलाह दी है। मूमि के पूर्ववर्ती ऋण के समक्ष बैंक के पास पहले से दृष्टिबंधक होने पर किसानों को कार्ड के वार्षिक नवीकरण के दौरान भूमि के हक से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने से भी छूट प्राप्त होगी। इससे किसानों को दोहरा लाभ प्राप्त होगा, ताकि वे रकम अपनी सुविधा के अनुसार प्राप्त कर सकें तथा अपनी शेष राशि पर ब्याज भी अर्जित कर सकें। सरकार कृषक उधारकर्ता का ऋण इतिवृत्त निर्मित करने के लिए नाबार्ड के अधीन एक साख श्रेणी निर्धारण संस्था की स्थापना करने पर भी विचार कर सकती है। इससे उन किसानों के लिए ब्याज दरों में और कमी लाई जा सकेगी, जो समय पर चुकौती कर देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

वैश्विक वित्तीय अस्थिरता का कारण प्रारक्षित निधि का संचय नहीं

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) ने तर्क दिया है कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (IMS) के लिए एक जोखिम के रूप में प्रारक्षित निधि के संचय पर निधि का बल सहायक नहीं सिद्ध हुआ। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) की रिपोर्ट का मुख्य बल इस बात पर था कि प्रारक्षित निधियां एक लक्षण थीं न कि कारण। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (IMS) की स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारणों पर ध्यान केन्द्रित करना था। प्रारक्षित निधियों के अतिरिक्त संचय के आधार पर समाधान तलाशने के निधि के प्रयास के परिणामस्वरूप ऐसे जोखिमों को कम करने के विकल्पों पर चर्चा करने में स्पष्टता का अभाव हो गया। अंतरराष्ट्रीय प्रारक्षित निधियों का मूल्यांकन : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चिंताएं और देशपरक परिप्रेक्ष्य शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि प्रारक्षित निधि के संचय के अलावा अन्य कारक यथा- वैश्विक चलनिधि में उत्तोलन प्रेरित उतार-चढ़ाव, वित्तीय क्षेत्र के अपर्याप्त विनियमन तथा पूंजी प्रवाह की अस्थिरता - प्रणालीगत लचीलेपन के लिए चिंता के अधिक दुर्दम्य स्रोत हैं।

नयी नियुक्तियां

- श्री अश्वनी कुमार को देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री संजीव आगा को आईएनजी वैश्या बैंक में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

विदेशी मुद्रा

अनिवासी भारतीय जमाराशियां दोगुनी बढ़कर अप्रैल-अक्तूबर 2012 में 10.14 बिलियन डालर हुईं

अनिवासी भारतीयों द्वारा उच्चतर प्रतिलाभों और कमजोर रुपये का फायदा उठाए जाने के कारण अनिवासी भारतीयों से बैंकों में हुए डालर अन्तर्वाह अप्रैल- अक्तूबर 2012 के दौरान दोगुने बढ़कर 10.14 बिलियन डालर हो गए। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ये अन्तर्वाह 4.88 बिलियन डालर थे। इस अवधि में अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों में 11.61 बिलियन डालर का अन्तर्वाह हुआ, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग पांच गुना था।

जनवरी 2013 माह के लिए यथा-प्रयोज्य विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बबदली

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.84350	0.408	0.486	0.636	0.834
जीबीपी	1.01375	0.7220	0.7830	0.9046	1.0428
यूरो	0.44000	0.390	0.480	0.615	0.780
जापानी येन	0.48714	0.229	0.214	0.246	0.306
कनाडाई डालर	1.94800	1.408	1.478	1.580	1.685
आस्ट्रेलियाई डालर	3.68200	2.845	2.973	3.175	3.300
स्विस फ्रैंक	0.25640	0.093	0.138	0.235	0.353
डैनिश क्रोन	0.65250	0.5870	0.6670	0.7800	0.9400
न्यूजीलैंड डालर	3.33800	2.700	2. 835	2.985	3.140
स्वीडिश क्रोनर	1.94250	1.230	1.315	1.420	1.538
सिंगापुर डालर	0.54000	0.558	0.638	0.730	0.890
हांगकांग डालर	0.44000	0.450	0.500	0.600	0.740
एमवाईआर	3.22000	3.250	3.300	3.380	3.460

स्रोत : विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**21 दिसम्बर 2012 के दिन**	**21 दिसम्बर 2012 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	16, 319.6	2 96,538.8
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 429.8	2 61,949.8
ख) सोना	1, 516, 0	27, 803.1
ग) विशेष आहरण अधिकार	245, 2	4, 452.0
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	128.6	2, 333.9

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय रिज़र्व बैंक	बैंकऑफ मारीशस	पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना का आदान-प्रदान।
भारतीय रिज़र्व बैंक	बैंक ऑफ जापान	दोनों देशों के बीच मुद्रा अदला-बदली (Swap) व्यवस्था।
भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लि. (CIBIL)	आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन की केन्द्रीय रजिस्ट्री	उधारकर्ताओं की सूचना तक सरलता से पहुंच हेतु ऋणदाताओं के लिए उनकी वेबसाइटों को जोड़ने के लिए।
आईसीआईसीआई बैंक	एमएमपी मोबी वैलेट पेमेन्ट सिस्टम्स	मुद्रा अंतरण सेवा
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असेंचर	उत्पादकता बढ़ाने में सहायता के लिए प्रबन्धन परामर्शी और सलाहकारी सेवाएं प्राप्त करना।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	नॉस्कॉम	सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की उद्यमशीलता में वृद्धि के विकास के लिए।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

दबाव परीक्षण पर आलेख

जैसा कि दिसम्बर 2012 के आईआईबीएफ विजन के अंक में उल्लेख किया गया था, इस अंक और इसके आगे से हम बैंकों के लिए सुदृढ़ दबाव परीक्षण प्रथाओं और पर्यवेक्षण पर चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने बैंकों में प्रभावी दबाव परीक्षण के लिए 21 सिद्धांत प्रतिज्ञापित किए हैं, जिनमें समस्या के विविध आयामों को शामिल किया गया है। एक झलक नीचे दी जा रही है :

1. वरिष्ठ प्रबन्धन की मूल भूमिका और उत्तरदायित्व
2. जोखिम की पहचान और उसका नियंत्रण
3. परिप्रेक्ष्यों और तकनीकों के प्रभाव क्षेत्र
4. प्रलेखित, लिखित नीतिया एवं कार्यविधियां
5. सुदृढ़ मूलभूत सुविधा
6. दबाव परीक्षण के ढांचे का नियमित अद्यतन
7. जोखिमों और व्यवसाय क्षेत्रों की व्याप्ति

8. परिदृश्यों की व्याप्ति
9. प्रचंडता का प्रसार क्षेत्र
10. निधीयन और आस्ति बाज़ारों में दबाव
11. जोखिम न्यूनीकरण तकनीकों की प्रभावशीलता
12. जटिल और मंगाए गए (Bespoke) उत्पादों की व्याप्ति
13 पाइपलाइन और माल-गोदाम जोखिमों की व्याप्ति
14. प्रतिष्ठा जोखिम का पता लगाने का सामर्थ्य
15. अधिक सुविधाप्राप्त प्रतिपक्ष
16. दबाव परीक्षण कार्यक्रमों का नियमित मूल्यांकन
17. सुधारात्मक कार्रवाई
18. परिदृश्यों की संभावना एवं गंभीरता को चुनौती देना
19. पूंजी और चलनिधि की पर्याप्तता
20. सामान्य परिदृश्यों पर आधारित दबाव परीक्षण
21. प्रणालीगत सुभेद्यताओं की पहचान

हम पहले सिद्धांत पर आगामी अंक में चर्चा करेंगे।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

सौदा प्रवाह (Deal flow)

वह दर, जिस पर निवेश बैंकरों और जोखिम पूंजीपतियों जैसे वित्तपोषकों द्वारा व्यवसाय के प्रस्ताव और निवेश स्वराघात (Pitches) प्राप्त किए जाते हैं। किसी कठोर मात्रात्मक माप के बजाय सौदा प्रवाह की दर कुछ हद तक गुणात्मक होती है और इसका उद्दिष्ट इस बात का संकेत देना होता है कि व्यवसाय अच्छा है या बुरा। अर्थव्यवस्था की दशा का सौदा प्रवाह के स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है। आर्थिक विस्तार और सुदृढ़ इक्विटी बाज़ार आम तौर पर अधिकांश वित्तपोषकों के लिए अच्छे - खासे सौदा प्रवाह सृजित करेंगे, जबकि मंदी और /अथवा निष्क्रिय इक्विटी बाज़ार केवल अत्यधिक प्रतिष्ठित सहभागियों के लिए साधारण सौदा प्रवाह सृजित करेंगे।

शब्दावली

तयशुदा लेनदेन प्रणाली

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाज़ार के अन्य लिखतों के विनिमय को सुगम बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक क्रय-विक्रय मंच। तयशुदा लेनदेन प्रणाली सरकारी प्रतिभूतियों के नये निर्गमों की मेज़बानी करने हेतु भी उत्तरदायी होगी।

संस्थान की गतिविधियां

आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला में जनवरी 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	लघु एवं मध्यम उद्यमों का वित्तीयन	14 से 18 जनवरी
2	परियोजना वित्त पर कार्यक्रम	18 से 24 जनवरी
3	प्रशिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	21 से 25 जनवरी

आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला में दिसम्बर, 2012 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण की गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	अपने ग्राहक को जानिए और धन-शोधन निवारण	6 और 7 दिसम्बर
2	सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा और साइबर अपराधों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	10 और 12 दिसम्बर
3	ऋण मूल्यांकन	17 और 21 दिसम्बर

संस्थान समाचार

बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP)

संस्थान ने लीडरशिप सेंटर, कुर्ला, मुंबई में पहले उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP) की शुरूआत कर दी है।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित * प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम.वी टंकसाले ने 5 जनवरी ,2013 को बैंकरों, शिक्षाविदों, मानव संसाधन कार्मिक एवं संसाधन से जुड़े व्यक्तियों की अच्छी -खासी उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

परीक्षा शुल्कों का ऑनलाइन भुगतान

मई / जून 2013 में और उसके बाद आयोजित होने वाली संस्थान की परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराने वाले सदस्य और सदस्येतर व्यक्ति अपने आवेदन पत्र और शुल्क ऑनलाइन विधि द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

90
85
80
75
70
65
60
55
50
03/12/12 04/12/12 06/12/12 07/12/12 11/12/12 13/12/12 17/12/12 18/12/12 19/12/12 21/12/12 26/12/12 28/12/12

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- सॉफ्टवेयर कम्पनियों से डालर के अन्तर्वाह और पूंजी प्रवाहों के कारण रुपया अपने पूर्ववर्ती बंद वाले स्तर से 1% मज़बूत होकर पिछले माह के अंतिम दिन प्रति डालर 54.26 के ढाई सप्ताह के उच्च स्तर पर बंद हुआ।
- 4थी को रुपया पांच में से चौथे सत्र में मज़बूत होकर प्रति डालर 54.68/69 पर बंद हुआ, क्योंकि बहु-ब्रॉण्ड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को संसदीय अनुमोदन से सम्बन्धित निवेशकों की आशाएं मतदान के एक दिन पहले बढ़ गईं।
- 10वीं को तेल आयातकों से डालर की मांग पर रुपया मामूली तौर पर लुढ़का, किन्तु हानियां शेयर बिक्रियों की से अन्तर्वाहों की बाढ़ की उम्मीद द्वारा सीमित रखी गईं। रुपया 7वीं को 54.47/46 के उसके बंद वाले स्तर से कमजोर हो कर 54.49/50 के स्तर पर बंद हुआ।
- वर्षांत में बिलों का भुगतान करने हेतु आयातकों द्वारा डालर की खरीदियां बढ़ाए जाने की अटकल पर 13वीं को रुपया 0.3 प्रतिशत लुढ़क कर 54.47 प्रति डालर पर पहुंच गया।
- रुपया 9 पैसे लुढ़क कर डालर के मुकाबले 54.94 पर बंद हुआ। दो सत्रों के लाभों के बाद 27वीं को रुपया स्थानीय मुद्रा के वर्ष के अंत में हानि की दिशा में जाने के संकेत के साथ स्थानीय शेयरों का अनुसरण करते हुए तथा तेल शोधक कारखानों द्वारा डालरों की खरीद की पृष्ठभूमि में लुढ़क गया।
- रुपया सामान्य रूप से डालर, यूरो और पौंड-स्टर्लिंग के समक्ष क्रमश: 0.53%, 1.07% और 2.16% मूल्यह्रासित हुआ, जबकि जापानी येन के समक्ष उसमें 4.24% की भारी मूल्य वृद्धि हुई।

भारित औसत मांग दरें

8.2
8.1
8
7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4

04/12/12 05/12/12 06/12/12 08/12/12 11/12/12 14/12/12 15/12/12 18/12/12 20/12/12 21/12/12 22/12/12 26/12/12 28/12/12

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- 3री को मांग दरें स्थिर स्तर पर बंद हुईं, क्योंकि उधार लेने वाले बैंकों से मांग आपूर्ति के बराबर रही तथा वे 8% पर बंद हुईं।
- मुद्रा बाज़ार में एक दिवसीय दरें 7.90% के पूर्ववर्ती स्तर से बढ़कर 11वीं को 8% के उच्चतर स्तर पर बंद हुईं।
- एक दिवसीय दरें 11वीं को 8% से बढ़कर 8.10% के उच्चतर स्तर पर बंद हुईं। वे 8.10% से 7.65% की श्रेणी में घटती- बढ़ती रहीं।

- 27वीं को मांग दरें अत्यधिक अस्थिरता का संकेत करते हुए 6.90% और 8.20% के बीच घटती-बढ़री रहीं।
- मांग दरें 15वीं को 7.62% के न्यून स्तर पर तथा माह की 28वीं को 8.1% के उच्च स्तर पर पहुंच गईं ।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

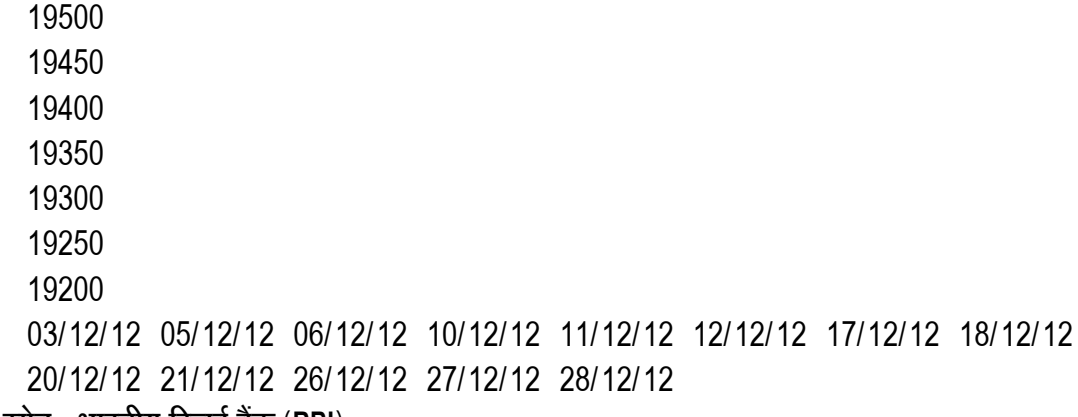

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जनवरी, 2013